

मध्यप्रदेश शासन  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग  
मंत्रालय, भोपाल।

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक .04.2013

क्रमांक एफ 16-8/2013/बी-ग्यारह : मेसर्स सांवरिया एग्रो ऑइल्स लिमिटेड का लगभग रु.75 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से औद्योगिक क्षेत्र, मण्डीदीप, जिला रायसेन में आधुनिक राईस मिल स्थापना संबंधी प्रस्ताव के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स सांवरिया एग्रो ऑइल्स लिमिटेड की प्रस्तावित परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति, 2010 (संशोधित, 2012) एवं कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2012 में घोषित प्रावधान के अनुसार निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे :-

- (1) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता - 75 प्रतिशत की दर से 10 वर्षों हेतु।
  - (2) प्रवेश कर से छूट - प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 5 वर्ष हेतु।
  - (3) मण्डी शुल्क से छूट - 5 वर्ष हेतु।
2. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा नियमानुसार निर्धारित समयावधि में सम्मति प्रदान की जावे।
  3. कम्पनी की अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(एम.एस. सोलंकी)  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग  
भोपाल, दिनांक 25-04.2013

पृ क्रमांक एफ 16-8/2013/बी-ग्यारह,  
प्रतिलिपि,

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग/उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/उर्जा विभाग/श्रम विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/आवास एवं पर्यावरण विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि./एमपी स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल। कम्पनी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित निवेश करने सम्बंधी अनुबंध एम.पी. ट्राइफेक के साथ निष्पादित करना होगा।
5. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स सांवरिया एग्रो ऑइल्स लिमिटेड, ई-1/1, अरेरा कालोनी भोपाल। कम्पनी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित निवेश करने सम्बंधी अनुबंध एम.पी. ट्राइफेक के साथ निष्पादित करना होगा।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लि., भोपाल।
7. महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मंडीदीप जिला- रायसेन म.प्र.।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग